प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्श 2013 प्र.सू.रि.स 9 दिनांक 25. 05.13

2.अधिनियम पी0सी0 एक्ट धाराएं 7/49/88 पी0सी0 एक्ट

3.(क) घटना का दिन षनिवार दिनांक दिनांक 25.05.13

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 25.05.13 समय 05.00 पी0एम0

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविश्टि संख्या) 6 समय 05.10 पी0एम0

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) स्पैषल मैसेन्जर द्वारा (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिषा एंव दूरी) जानिब–पूर्व–दक्षिण लगभग 82/83 किलो मीटर

(ख) पता :– वक्फ बोर्ड कार्यालय फिरोजपुर झिरका

थाने का नाम :– फिरोजपुर झिरका जिला मेवात।

6. (षिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) नाम : षराफ खान

(ख) (पिता/पति का नाम) श्री उमर मोहम्मद

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राश्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) दुकानदार(पता) गंगवानी त0 पुन्हाना जि0 मेवात

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. म्हबूब खान सेवादार क्लर्क वक्फ बोर्ड फिरोजपुर झिरका

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री महेन्द्र सिंह निरीक्षक रा0चौ0ब्यू0 यूनिट मेवात बदस्त सि0 रोषन लाल न0 1160/फरीदाबाद बराये करने दर्ज मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विशय इस प्रकार से हैः– सेवा में इन्सपैक्टर साहब, स्टेट विजिलैंस ब्यूरो मेवात (नूहॅ) श्रीमान जी, निवेदन है कि मै षराफ मोहम्मद पुत्र उमर मोहम्मद जाति मेव निवासी गंगवानी तहसील पुन्हाना जिला मेवात (नॅूह) का स्थाई निवासी हॅू। मैने पिनगांव करन्के में वक्ब बोर्ड की खसरा न0 248 प्लाट को मेरे नाम अलाट काने के लिये तहसीलदार फिरोजपुर झिरका वक्ब बोर्ड के दफ्तर में मैने अपनी फाईल जमा करवाई हुई है। जो वक्ब बोर्ड कार्यालय फिरोजपुर झिरका में लगे क्लर्क महबूब खान ने मेरी प्लाट की फाईल को वक्ब बोर्ड के मुख्य दफ्तर जिला अम्बाला में भेजने के लिये 1,50,000 लाख रूप्ये की रिष्वत की मांग की है। मैने कहा कि मै गरीब आदमी हॅू ये रकम मेरे लिये

बहुत ज्यादा है। इस काम को कुछ कम में करवा दो, उसने कहा कि 1,50,000 रूप्ये की रिष्वत के बिना यह प्लाट अलाट नही होगा। मैने कहा 80,000 रूप्ये का तो इन्तजाम हो सकता है। बाकि बाद में दे देगें तो उसने कहा कि जितने का इन्तजाम है ठीक है। जो अब है उन रूप्यों को ले आओं और बाकि बाद में दे देना मै बक्फ बोर्ड की प्लाट खसरा न0 248 को अलाट कराने के लिये लगभग दो महीने से चक्कर काट रहा हूॅ। वक्ब बोर्ड के दफ्तर के क्लर्क महबूब खान मेरी प्लाट की फाईल को बिना पैसे के आगे नही भेज रहा है। मेरे साथ मकसूद पुत्र खुर्षीद निवासी डुगेंजा भी कई बार मेरे साथ दफ्तर में मेरा सहयोग देने के लिये गया है। अब मुझे लग रहा है कि बिना रिष्वत के क्लर्क महबूब खान मेरी प्लाट को अलाट नही करवायेगा। लेकिन मै रिष्वत नही देना चाहता। कुपया करके महबूब खान जो कि वक्फ बोर्ड कार्यालय फिरोजपुर झिरका में लगा हुआ है। उसके खिलॅाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। उसने मुझे बहुत दिनों से परेषान कर रखा है। आपकी अति कुपया होगी। प्रार्थी हस्ताः– हिन्दी सरीफ खॅा पुत्र उमर मोहम्मद निवासी गंगवानी त0 पुन्हाना जिला मेवात (नूॅह) मोबाईल न0 9671388046 कार्यवाही पुलिस आज मै रा0चौ0ब्यू0 यूनिट कार्यालय मेवात (नॅूह) में मौजूद हूॅकि मुदई षरीफ खान पुत्र उमर मोहम्मद जाति मेव निवासी गंगवानी त0 पुन्हाना जि0 मेवात (नॅूह) ने मेरे सम्मुख एक दरखास्त पेष की जो मजबून दरखास्त से सरेदस्त जुर्म 7/49/88 पी0सी0 एक्ट का होना पाया जाकर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 रोषन लाल 1160/फरीदाबाद के थाना भेजी जा रही है। मुकदमा दर्ज करके स्पैषल रिपोर्ट भिजवाई जावे वा नम्बर मुकदमा से भी सूचित किया जाए। मन नि0 मय ए0एस0आई0 वहीद अहमद न0 794/फरीदाबाद, ए0एस0आई0 महाबीर सिंह 3/31 के बा सवारी गाडी एच0आर0 68– 8353 जिसका चालक सि0 जुबेर खान 5/356 है के बराये तफतीष रवाना डी0सी0 कार्यालय मेवात वगैरा का होता हूॅ मुदई, गवाह तथा तफतीसी बैग भी हमराह लिया गया है। हस्ता हिन्दी महेन्द्र सिंह न0 ए/34 निरीक्षक एस0वी0बी0 यूनिट मेवात दिनांक 25.05.2013 समय 3.00 पी0एम0 अज थाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बाजुर्म मजकूर दर्ज रजिस्अर किया गया। एफ0आई0आर0 की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरानबाला भेजी जायेगी। एक पर्त एफ0आई0आर0 बतौर स्पेषल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब मेवात भेजी जा रही है। नकल मिसल मय आमदा तहरीर भी मौका पर आई0ओ0 को पहुचाने हेतु आरिन्दा सि0 रोषन लाल न0 1160/फरीदाबाद के हवाले की गई।

हस्ता : अग्रेजी आत्मा राम
थाना प्रभारी का नाम
नाम : आत्मा राम
पद : निरीक्षक
सख्यां : एच0/51
दिनांक 17.05.13 समय 04.30 पी0एम0